

2018/00014

8/2/18

न्यायालय तहसील डार (राजस्व) लुनकवासर, जिला बीकानेर

सरकार

बनाम श्री काबूलान डार - पूना राम मार

विस्तार मुकदमा - अन्वेषण 1956 की धारा 2

एत. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर

08/18

वर्ष 2018

मतल 2018

आदेश दिनांक

कार्यवाही दिवसन

आदेश की तारीख

22/1/18

पटवारी हल्का

551

की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुलाबिके रिपोर्ट अप्रार्थी ने

ग्राम/चक 215 गवाही के

खसरा नं./मुज्जमे 158

तादादी

0.04

बीघा

राजकीय भूमि पर समत

274

में

नाजायज कब्जा कर कानून कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के अन्तर्गत नोटिस

जारी किया जावे एवं भू अधिनेय विधिक को पत्रावली मुकदमा हेतु लिखा

जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

8/2/18

पत्रावली पेश हुई। सचिवों के समक्ष

अपवादित। क्रम: 215 गवाही का मुकदमा

के लिये तहसील डार तहसील डार

के. ज. मार

07  
22/1/18

का रजिस्टर के पृष्ठ नं  
109 के अ.स. 06 पर  
भोग प्राप्त की जाती

12/4/18

न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या ७६ / 2018


दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का  
सायल अमूराल पुत्र युगाराम जाति गुज  
साकिन ५६ ने ग्राम मैरारिग के खसरा नं० १६६  
रकबा ०.०५ बीघा जोहड पायतन, गोघर, चारागाह राजकिय  
भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण  
दिया है।

सम्बन्धित गैर सायल का राजस्व अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण  
दख कर नाटिन जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल निसल किया गया।  
सम्बन्धित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही  
करते हुए सम्बन्धित गैर सायल अमूराल पुत्र श्री युगाराम  
जाति गुज साकिन ५६ ग्राम मैरारिग  
खसरा नं० १६६ रकबा ०.०५ बीघा के अतिकार करने पर राज.  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित  
किया जाता है तथा भू-राजस्व ०.१०५६ का 50 गुणा रूपये ०.५१  
शासित से टण्डित किया जाता है। तथा मौके से वेदखल करने के आदेश दिये जाते  
हैं। वेदखल दाखल सम्बन्धित निरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना दसूली  
बाबत हल्का पटवारी को तथा मंग कावनी बाबत टी/आर/ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया  
जाकर सुनाया गया।

  
तहसीलदार (राजस्व)

लूनकरनसर